XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–48/04

धारा–48 (एफ0) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

1. शंकर मुनी, पिता–स्व0 उचित मुनी
2. सोलेट मुनी, पिता–स्व0 नसीब मुनी
3. गुलचन मुनी, पिता–स्व0 नसीब मुनी
4. शौकत मुनी, पिता–स्व0 नसीब मुनी
5. धोधाई मुनी, पिता–स्व0 नसीब मुनी
6. राजो मुनी, पिता–स्व0 नागो मुनी

सभी का साकिन–असकतिया, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदकगण

बनाम्

1. राज्य सरकार
2. हीरा सिंह, पिता–स्व0 रामपुकार सिंह
3. सुभाष सिंह, पिता–रामेश्वर सिंह
4. अवधेश कुमार सिंह, पिता–बिन्देश्वरी सिंह
5. मिथिलेश कुमार सिंह, पिता–बिन्देश्वरी सिंह ..... विपक्षीगण

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा वाद संख्या–9/99 में दिनांक 01.10.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 20.04.2004 को निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।

प्रश्नगत जमीन मौजा–विशनपुर चिन्तामणी टोला, असकतिया, थाना नं0–312, खाता नं0–126, खेसरा नं0–975, रकवा–3.33 एकड़ जमीन के कायमी रैयत नरसिंह प्रसाद सिंह थे तथा सिकमीदार आवेदक के पिता–स्व0 उचित मंडल, उर्फ उचित मुनी थ, जिसका सिकमी खाता नं0–75 है। सिकमी खतियान के आधार पर आवेदकगण द्वारा अंचल कार्यालय, भवानीपुर में 48 ''डी0'' बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत वाद संख्या–13/1993–94 दायर किया गया था। उक्त वाद में आवेदकगण को कायमी हक प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के न्यायालय में राजस्व अपील वाद संख्या–9/93–94 दायर किया गया। इस वाद में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0ज0सी0 नं0–9656 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में धारा–48 ''ई'' बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत वाद संख्या–9/99 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2003 को आवेदक के वाद को खारिज कर

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट की तारीख सहित
1	2	3

दिया गया।

आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया गया। विपक्षी द्वारा कभी भी खतियान में सिकमी दर्ज होने के विरूद्ध आपत्ति नहीं किया गया। भूस्वामी नरसिंह प्रसाद सिंह ने वर्ष 1958 से पूर्व ही आवेदकगण के पिता को प्रश्नगत जमीन बटाई पर दिया था। अतः निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है।

विपक्षीगण का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक का प्रश्नगत जमीन से कभी भी संबंध नहीं रहा है। आवेदक को प्रश्नगत जमीन के वास्तविक भूस्वामी तथा रकवा तक का पता नहीं है। खेसरा संख्या–975 मूलतः विपक्षी संख्या–2 से 5 के दादा स्व0 कोकाय सिंह के नाम दर्ज है। सर्वे के क्रम में जमीन बचाने के लिये नरसिंह प्रसाद सिंह के नाम दर्ज हुआ था। आवेदक संख्या–1 के पिता–स्व0 उचित मुनी सर्वे अमीन के यहाँ नौकरी करता था और इसी का लाभ लेकर उचित मुनी अपना नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज करवा लिया। दिनांक 05.03.1969 को स्व0 उचित मुनी ने रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा विपक्षी संख्या–2 से 4 के नाम लादाबीनामा लिख दिया। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है।

अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर इस अपील वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

दिनांक 06.05.2011 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया कि दिनांक 08.04.2011 को न्यायालय में इस वाद को वापस लेने हेतु आवेदन आवेदक द्वारा समर्पित किया गया है, इसे स्वीकृत करने की मांग की गयी है।

अतः दिनांक 08.04.2011 को समर्पित वापसी आवेदन को स्वीकृत करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ